राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक / विधि / 2020 / 4939

दिनांक:13.05.2020

आदेश

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

जालोर जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से इस कार्यालय के आदेश समसंख्यक क्रमांक:विधि / 2020 / 2912 दिनांक 19 मार्च, 2020 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जालोर जिले की तहसील जालोर / जसवंतपुरा के निम्नलिखित कस्बो मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से सक्रंमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं COVID-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब जिले की तहसील जालोर / जसवंतपुरा को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव / नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा / सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुए मुझे यह समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में जिले की तहसील जालोर / जसवंतपुरा के निम्नलिखित कस्बो में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लगाया जाना आवश्यक समझता हूँ।

अतः मैं **हिमांशु गुप्ता, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर** जिले की तहसील जालोर / जसवंतपुरा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में जिले की तहसील जालोर / जसवंतपुरा के निम्नलिखित कस्बो के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ :–

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए

   i तहसील जालोर :– ग्राम पंचायत लेटा (जालोर बी) वार्ड सं. 02 – वेरा लाकोला व आस–पास की आबादी, लाल भाखरी आबादी क्षेत्र व नदी के आस–पास क्षेत्र के कुए।

   ii तहसील जसवंतपुरा :– तहसील जसवंतपुरा के कस्बा जसवंतपुरा के वार्ड सं. 2 एवं वार्ड सं. 3

   उपरवर्णित तहसील के सम्मुख अंकित कस्बो की सीमा क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बांहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।
2. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
3. उपरोक्त क्षेत्र मे व्यावसायिक / व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
4. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. आवश्यक व्यवस्थाये बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी / कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही नगर परिषद / पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाअें से संसबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
6. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्टस् पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकलें।
7. यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नही होगा।
8. उक्त क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति / संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
9. बिन्दु सं. 1 मे वर्णित क्षेत्र के अतिरिक्त कस्बे की सीमाओं के भीतर आवश्यक सेवाएं यथा दवाईयों की दुकान, किराणा स्टोर, फल व सब्जियों की दुकान, दुध की डेयरी, बैंक, एटीएम इत्यादी को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायिक / व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
10. मै उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नहीं है कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग सूचित किया जावे एवं प्रत्येक को अलग–अलग नोटिस जारी कर तामील करवाया जावे। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया, जो तुरंत प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालोर

क्रमांक/विधि/2020/ 4940-5033

दिनांकः13.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.............................।
5. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
6. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जालोर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर/सांचोर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त।
12. तहसीलदार, समस्त।
13. विकास अधिकारी, समस्त।
14. आयुक्त नगर परिषद्, जालोर।
15. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल/सांचौर।
16. उप पुलिस अधीक्षक जालोर/भीनमाल/सांचोर/रानीवाडा।
17. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
18. थाना अधिकारी, पुलिस थाना........................।
19. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
20. आदेश पत्रावली

अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालोर

::कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही इस बिमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है::